

प्रेषक,

प्रधानाध्याय,  
राजकीय पॉलीटेक्निक सोरो,  
कासगंज।

प्रेषण में,

जिला समान कल्याण अधिकारी,  
कासगंज।

विषय : छात्रवृत्ति पोर्टल पर मास्टर डाटा डिजिटली लॉक कराने विषयक।

पत्रांक सं० : / छात्रवृत्ति-2023-24/ दिनांक :

महोदय,

अवगत कराना है कि छात्रवृत्ति पोर्टल पर संस्था का मास्टर डाटा ( कोर्स, फीस, व अन्य विवरण) लॉक करते हुए डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा संरक्षित कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त विवरण की हाई कॉपी समस्त संलग्नकों सहित आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रधानाध्याय)

प० सं० : 1958 / छात्रवृत्ति 2023-24/

दिनांक : 02/12/2023

प्रतिलिपि :

1. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ, को सादर अनुरोध के साथ कि संस्था का मास्टर डाटा परिषद द्वारा डिजिटली सत्यापित कराने कि कृपा करे।

④  
प्रधानाध्याय  
राजकीय पॉलीटेक्निक  
सोरो (कासगंज)





## कारवाही एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली - उत्तर प्रदेश

राज्य

Scholarship and Fee Reimbursement Online System - Uttar Pradesh



**Digital India**  
Power To Empower

Home (Index.aspx) Verified Funding Courses by Digital Signature (2023-24)

Type Of Course :

Regular - Self Finance

Digitally Locked - Pending

Sl. No.	Course Name	Year	Duration	Fee (INR)	Approved	Year	Duration	Fee (INR)	Approved	Year	Duration	Fee (INR)	Approved	Year	Duration	Fee (INR)	Approved	Year	Duration	Fee (INR)	Approved	Year	Duration	Fee (INR)	Approved	Year	Duration	Fee (INR)	Approved	Year	Duration	Fee (INR)	Approved	Year	Duration	Fee (INR)	Approved				
1	UG (B.A.)	2023-24	3	11000	Yes	2023-24	3	11000	Yes	2023-24	3	11000	Yes	2023-24	3	11000	Yes	2023-24	3	11000	Yes	2023-24	3	11000	Yes	2023-24	3	11000	Yes	2023-24	3	11000	Yes	2023-24	3	11000	Yes	2023-24	3	11000	Yes
2	UG (B.A.)	2023-24	3	11000	Yes	2023-24	3	11000	Yes	2023-24	3	11000	Yes	2023-24	3	11000	Yes	2023-24	3	11000	Yes	2023-24	3	11000	Yes	2023-24	3	11000	Yes	2023-24	3	11000	Yes	2023-24	3	11000	Yes	2023-24	3	11000	Yes
3	UG (B.A.)	2023-24	3	11000	Yes	2023-24	3	11000	Yes	2023-24	3	11000	Yes	2023-24	3	11000	Yes	2023-24	3	11000	Yes	2023-24	3	11000	Yes	2023-24	3	11000	Yes	2023-24	3	11000	Yes	2023-24	3	11000	Yes	2023-24	3	11000	Yes

Digitally Locked

नाम  
 डा. जॉन  
 12549 पब्लिक  
 क्वार्टरमेंट्स विभाग

पता  
 दिल्ली-6  
 जमीन विभाग  
 जल प्रदाय विभाग

जमीन विभाग का नाम : नया दिल्ली 3 जमीन विभाग

विषय : पञ्जाबी भू-सूचीकरण अधिनियम में सुल्क की दर सम्बन्धी निर्देश जारी  
 के सम्बन्ध में।

सम्बन्ध : पञ्जाबी भू-सूचीकरण अधिनियम 1956/57 के अन्तर्गत पुनरीक्षण  
 20-6-2003 के तहत की गयी थी। सुल्क की दर निर्धारण के लिए 11  
 राज्यीय मासिकपत्रिका सम्बन्धी सं. 100 2003-04 में जारी किया जा चुका है।  
 सं. 1587/14-50115-3-53-248(वि)/91 दिनांक 20-6-2003 द्वारा जारी क  
 लिए जाने वाला सुल्क की दरें संपादन की गयी थी। राज्य के तकनीकी प्रतिष्ठान  
 में प्रेषण होने वाले कच्चा माल संबंधित एवं संपादन-संबन्धी लेखों के सुल्क में  
 असाधारण वृद्धि का कारण तथा कई प्रमुख व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान  
 के लिए राज्य की राजधानी में दोस्त सं. 100/2003 अधिनियम द्वारा पुनरीक्षण काल  
 राज्यीय मासिकपत्रिका सं. 100/2003 में सुल्क की दरें विस्तृत लिखित गिरी जाने की  
 व्यवस्था प्रदान की गयी है -

क्रमांक	वर्ग	वर्तमान सुल्क की दरें	पुनरीक्षित सुल्क की दरें
1	2	3	4
1	राज्यीय सुल्क		
	1- शिक्षण सुल्क	600.00	800.00 ✓
	2- पत्रिकाएं सुल्क	600.00	600.00
2	राज्यीय सुल्क		
	1- प्रकाश सुल्क	150.00	200.00 ✓
	2- कॉपीकरण सुल्क	100.00	100.00 ✓
	3- कृषि संबंधी सुल्क	100.00	200.00 ✓
	4- वैज्ञानिक सुल्क	100.00	120.00 ✓
	5- कृषि सम्बन्धी सुल्क	50.00	200.00 ✓
	6- पत्रिकाएं सुल्क	30.00	30.00 ✓

प्रभु,

शिरीजी नगर,  
उम सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में:

निदेशक,  
प्राथमिक शिक्षा विभाग,  
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

प्राथमिक शिक्षा अनुभाग-3

तख्तक: दिनांक: 10 अगस्त, 2023

विषय:- प्राथमिक शिक्षा निदेशकलय (उम), के नियंत्रणधीन कार्यरत संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश क्षमता का निर्धारण।

संदर्भ:-

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-13645/इ-प्रसा-12ए/2023-24 दिनांक 24.07.2022 व पत्र संख्या-14347/इ-प्रसा-12ए/2023-24, दिनांक 27.07.2023 का कृपया अनुरोध राहण करने का कष्ट की। जिनके माध्यम से शैक्षिक सत्र 2022-23 में प्रवेश क्षमता में कमी एवं वृद्धि का संशोधन करते हुए (रेडिग्न)एसए सीटी सहित 109 राजकीय एवं अनुसूचित संस्थाओं में एडमिशन/सीटी/सीटी एवं राज्य सरकार द्वारा पाठ्यक्रमों की अनुमोदन प्रवेश क्षमता 49778 निर्धारित किये जाने का परस्पर निर्णय है।

2) इस संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों में किए गए प्रस्ताव पर संबंधित विद्यालयों की सत्यता, शैक्षिक सत्र 2023-24 में प्राथमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणधीन कार्यरत विभिन्न स्तरों पर संस्थाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 49778 सीटों की प्रवेश क्षमता का सही रूप में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित किये जाने की सूचना संबंधित विद्यालयों को एवं अधिकारियों के अधीन प्रदान करते हैं-

- (1) यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित संस्थाओं में छात्रछात्राओं का प्रवेश निर्धारित सीटों तक ही किया जायेगा तथा जिन संस्थाओं के लिए प्रवेश क्षमता का निर्धारण किया गया है, उन संस्थाओं में प्रवेश/पंजीकरण के सिधे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए अनुमोदन प्राप्त हो गया है।
- (2) समस्त राजकीय/अनुसूचित प्राथमिक संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए उक्त निर्धारित 49778 सीटों पर कंट्रोलिंग के पूर्व समस्त लर्नी एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदन की स्थिति तथित, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अपने स्तर से भी सुनिश्चित कर ली जायेगी।
- (3) सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद श्री छात्रों का पंजीकरण करते समय यह ध्यान रखें कि उक्त सभी सीटें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से सत्यता प्राप्त हैं।
- (4) निर्धारित सीटों पर प्रवेश में आवश्यक सभी अत्यावधिक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (5) कर्मचारी पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रवेश क्षमतानुसार पीसीआई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही प्रवेश लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://www.24governmentservices.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन राजकीय एवं अनुदानित पाठीपठिका संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/वस्तुकला परिषद से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर प्रस्तावित प्रवेश क्षमता

क.स.	संस्था का नाम	नाम डिप्लोमा पाठ्यक्रम	वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	10 प्रतिशत ई0डब्ल्यूएस0 आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता में वृद्धि	प्रवेश हेतु प्रस्तावित कुल प्रवेश क्षमता (A+S)
1	2	3	4	5	6

1 पश्चिमी क्षेत्र (क्षे0 कार्या0 दौराला मेरठ)

1.1 रा0 पाठी0, गाजियाबाद	सिविल इंजी0	60	15	75
	मेकेनिकल इंजी0 (प्रोड0)	60	15	75
	मेकेनिकल इंजी0 (केड विरा0)	60	15	75
	इलेक्ट्रानिक्स इंजी0	60	15	75
	मेकेनिकल इंजी0 (ऑटो0)	60	15	75
	इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी	60	15	75
	इंटीरियर डिजाइन एण्ड डेकोरेशन	60	15	75
	मास कम्युनिकेशन	60	15	75
	पी0जी0डी0 इन कम्प्यूटर हार्डवेयर एण्ड नेटवर्किंग	60	15	75
	पी0जी0डी0 इन वेब डिजाइनिंग	60	15	75
	पी0जी0 डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी	60	15	75
	पी0जी0 डिप्लोमा इन इंटरनेट आफ थिंग्स	60	15	75
	<b>योग</b>	<b>720</b>	<b>180</b>	<b>900</b>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रतिलिपि वेब साइट <http://www.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	मेकेनिकल इंजीन (प्रोडो)	60	15	75
	मेकेनिकल इंजीन (आरीए)	60	15	75
	मार्टिन आणिया मेनेट एण्ड सेट पैठ (प्रोडो कम्पी)	30	7	37
	<b>योग</b>	<b>270</b>	<b>67</b>	<b>337</b>
1.17 राठवर्म संस्थान आगरा	लेटर टेकनॉलॉजी (टेनिंग)	60	15	75
	कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीन	60	15	75
	लेटर टेकनॉ. फुटविघर (कम्प्यूटर एड्ड भू डिजाइन)	60	15	75
	<b>योग</b>	<b>180</b>	<b>45</b>	<b>225</b>
1.18 राठपाठ, सोरो कासरगंज	सिविल इंजीन (इन्वापरमेंट एण्ड प्लानिंग कन्ट्रोल)	48	12	60
	आर्कटिक्वर असिठ	48	12	60
	मेकेनिकल इंजीन (प्रोडो)	48	12	60
	<b>योग</b>	<b>144</b>	<b>36</b>	<b>180</b>
1.19 राठपाठ, मैनापुरी	इलेक्ट्रानिक्स इंजीन	54	13	67
	इन्स्ट्रुमेंटेशन एण्ड कन्ट्रोल	54	13	67
	इलेक्ट्रानिक्स (माइक्रो प्रोसेस) विशिष्टता)	54	13	67
	<b>योग</b>	<b>162</b>	<b>39</b>	<b>201</b>
1.20 राठपाठ, फिरोजाबाद	ग्लास एण्ड सिरोमेक्स इंजीन	60	15	75
	मेकेनिकल इंजीन (प्रोडो)	60	15	75
	केमिकल अभिठ	60	15	75
	<b>योग</b>	<b>180</b>	<b>45</b>	<b>225</b>
1.21 प्रेम महाविद्यालय	सिविल इंजीन	60	15	75

1- यह जानकारी इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस जानकारी की प्रमाणिकता वेब साइट <http://hastacaidh.univ.ac.in> से सम्बन्धित की जा सकती है।

# All India Council for Technical Education

(A Statutory Body under Ministry of Education, Govt. of India)

New Office: Main Building, Sector-10, New Delhi-110016. Website: [www.aicte.ac.in](http://www.aicte.ac.in)



## APPROVAL PROCESS 2023-24

### Extension of Approval (EOA)

F No. Northern-1-36250643604/2023/EOA

Date: 16 May 2023

To,

The Principal Secretary (Tech. Edu.)  
Govt. of Uttar Pradesh,  
Sector-1, Lucknow-226001,  
12A, Naini Station,  
U.P. Lucknow-226001

**Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2023-24**

**Re:** Online application of the institution submitted for Extension of Approval for the Academic Year 2023-24

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approval for Technical Education) Regulations, 2020 notified on 4th February 2020 and amended on 24th February 2021 and norms, standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval in

Permanent Id	1-506738021	Application Id	1-36250643604
Name of the Institution	GOVERNMENT POLYTECHNIC SORON	Name of the Society/Trust	DTE-GOVT. POLYTECHNIC SORON
Institution Address	KASGANJ - BAREILLY ROAD, SORON, SORON, KANSHI RAM NAGAR, Uttar Pradesh, 207403	Society/Trust Address	SORON, KANSHI RAM NAGAR, Uttar Pradesh, 207403
Institution Type <sup>1</sup>	Government	Region	Northern
Year of Establishment	1951		

To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2023-24

Level	Program <sup>2</sup>	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2022-23	Intake Approved for 2023-24	NIR Approval Status	FN / Gull quota / OC / Approval Status
DIPLOMA	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	ARCHITECTURAL ASSISTANTSHIP	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	40	40	No	No
DIPLOMA	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	CIVIL ENGINEERING ENVIRONMENT & POLLUTION CONTROL	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	40	40	No	No



Level	Program	Course	Assessing Body (University/Body)	State Approved for 2022-23	State Approved for 2023-24	MS/ Approval Status	FN / Gulf Council Approval Status
DIPLOMA	ENGINEERING AND TECHNOLOGY (DY)	MECHANICAL ENGINEERING (PROG)	Uttar Pradesh Board of Technical Education Lucknow	42	48	NA	NA

It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in APH 2023-24 (Appendix G)

The Institution/ University is having the following deficiencies as per the online application submitted to AICTE and the same shall be complied within Six Months from the date of issue of the EoA.

Deficiencies Noted based on Self Disclosure	
Particulars	Deficiency
<b>1. Amenities Area</b>	
Cafeteria	Yes
<b>2. Computational Facilities</b>	
Application SW	Yes
PCs to Student ratio	Yes
<b>3. Instructional Area –ENGINEERING AND TECHNOLOGY-Diploma</b>	
CAD Center	Yes
<b>4. Faculty Deficiency</b>	
	Yes
<b>5. Instructional Area Common Facilities</b>	
Library & Reading Room	Yes
<b>6. Library Facilities</b>	
Multimedia PC	Yes
<b>7. Other Facilities Deficiency</b>	
Establishment Internal Committee(IC)	Yes
Barrier free Environment	Yes
Waste Management and a sustainable Green Campus	Yes

\*Please refer Deficiency Report for details

## Important Instructions

1. The State Government (U) Directorate of Technical Education Directorate of Medical Education shall ensure the 10% of reservation for Economically Weaker Section (EWS) as per the reservation policy for admission, operational from the Academic year 2019-20 is implemented without affecting the reservation percentages of SC/ST/OBC(NCL) / General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions related to the Course (I) of Article 30 of Constitution of India. Such Institution shall be permitted to increase its annual permitted strength over a maximum period of ten years.
2. The Institution offering courses either in the Register (SR) / First Year / Second Semester / Term are now amalgamated as one institution and shall have to fulfil all facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements as per the norms specified in the Approval Process Handbook 2023-24 for the Total Approved Intake. Further, the Institutions Deemed to be Universities Institutions Having Accreditation/Autonomy status shall have to maintain the Faculty / Student ratio as specified in the Approval Process Handbook.
3. Strict compliance of AICTE Regulation, Establishment of Committee for SC/ST, Establishment of Internal Committee (IC), Establishment of Online Grievance Redressal Mechanism, Barrier Free Built Environment for disabled and elderly persons, Fire and Safety Certificate should be maintained as per the provisions made in Approval Process Handbook and AICTE Regulation notified from time to time.
4. In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.
5. As per the AICTE Notification dated 29.01.2014 and amended therein, it shall be mandatory for each Technical Education Institution, University, Department and Institution Deemed to be University imparting Technical Education to get accreditation (NSA) for at least 60% of the eligible courses in the next ONE (1) Years' time, otherwise EoA for the subsequent Academic Year (A.Y. 2024-25) shall not be issued by the Council.
6. Deemed to be University: Institutions Deemed to be Universities (Imparting Technical Education Programmes), it is mandatory to have AICTE approval from the Academic Year 2018-19 in compliance of the Hon'ble Supreme Court Order dated 03-11-2017 passed in CA No.17885- 17873 (2017).

Prof. Rajive Kumar  
Member Secretary, AICTE

### Copy to:

1. The Director Of Technical Education\*\*, Uttar Pradesh
2. The Principal / Director,  
GOVERNMENT POLYTECHNIC SORON  
Kasganj - Bareilly Road, Soron,  
Soron, Kanashi Ram Nagar,  
Uttar Pradesh, 207403
3. The Secretary / Chairman,  
  
SORON, KANASHI RAM NAGAR,  
Uttar Pradesh, 207403
4. Guard File(AICTE)

Note: Validity of the Course details may be verified at <http://www.aicte-india.org/>.

\*\* Individual Approval Letter copy will not be communicated through Post/E-mail. However, a consolidated list of Approved Institutions(SR) may be distributed from the respective SR's.

*This is a computer generated Statement. No signature Required*